उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

अतिक्रमण अपील वाद संख्या – 59/2022

गणेश प्रजापति बनाम् राज्य एवं अन्य

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
17.03.2023	अभिलेख उपस्थापित। अपीलार्थी गणेश प्रजापति, पिता–स्व० खेतु प्रजापति, ग्राम–बनतारा, पो०+थाना–गोला, जिला–रामगढ़ के द्वारा अंचल अधिकारी, गोला के कार्यालय में दायर अतिक्रमण वाद संख्या–45/2011–12 में दिनांक–13.08.2022 को पारित आदेश विरूद्ध Under Section 11 of Jharkhand Public Land Encroachment Act-2000 के तहत् अपील दायर किया गया है। वाद को अंगीकृत करते हुए अंचल अधिकारी, गोला से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई। प्रश्नगत भूमि मौजा–बनतारा थाना नं०–24 थाना–गोला के खाता सं०–52, प्लॉट सं०–58, रकवा–0.07 ए० संबंधित है। अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि अतिक्रमण वाद संख्या–45/2011–12 में दिनांक–13.08.2022 में पारित आदेश के आलोक में अंचल अधिकारी, गोला द्वारा प्रश्नगत भूमि मौजा–बनतारा के खाता नं०–52, प्लॉट नं०–58, रकवा–0.07 ए० भूमि से अतिक्रमण हटाने हेतु दिनांक–20.08.2022 को की गई कार्रवाई विधि–संगत एवं पोषणीय नहीं हैं। अपीलार्थी का विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि मामला मौजा–बनतारा, खाता नं०–52 नहीं बल्कि खाता नं०–28 प्लॉट नं०–58 से संबंधित है। यह भूमि गैरमजरूआ खास है। इसलिए उक्त भूमि को संबंधित पक्ष के साथ बंदोबस्ती करने का भूतपूर्व जमीनदार को पूर्व अधिकार प्राप्त था। मो० सोहगी देवी, पति–स्व० खेदन कुम्हार को मौजा–बनतारा के खाता सं०–28, प्लॉट सं०–58, कुल रकवा–0.07 ए० भूमि भूतपूर्व जमीनदार से सादा हुकुमनामा से बंदोबस्ती हासिल है। उक्त भूमि सें संबंधित अंचल अधिकारी, गोला के द्वारा अतिक्रमण वाद संख्या–138/60–61 चलाया गया जिसमें अंचल अधिकारी, गोला ने उक्त भूमि को अतिक्रमण की परिधि से बहार बताते हुए कार्रवाई समाप्त किया गया। उनका कहना है कि अपीलार्थी का उक्त भूमि का 70 वर्षो से दखल कब्जा है। पुनः अंचल अधिकारी, गोला के द्वारा अतिक्रमण वाद संख्या–111/97–98 दायर किया। अपीलार्थी के द्वारा उक्त वाद के विरूद्ध उपायुक्त के न्यायालय में अपील वाद 49/98 दायर किया गया। जिसमें माननीय उपायुक्त ने उक्त वाद को पुनः समीक्षा हेतु न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, रामगढ़ के	

न्यायालय में हस्तगत कराया गया। अनुमण्डल दण्डाधिकारी, रामगढ़ ने अतिक्रमण अपील वाद संख्या–01/2002 दायर कर सुनवाई करते हुए वाद की कार्यवाई समाप्त की गई। पुनः अंचल अधिकारी, गोला द्वारा अतिक्रमण वाद संख्या–45/2011–12 दायर करते हुए अतिक्रमण हटाने का आदेश पारित किया गया जो नियम–संगत नहीं है। उन्होनें उक्त पारित आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया है।

अंचल अधिकारी, गोला के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि अतिक्रमण वाद संख्या–45/2011–12 के संबंध में कहना है कि प्रतिवादी द्वारा न्यायालय अनुमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ के अतिक्रमण अपील वाद संख्या–01/2002 गणेश प्रसाद वगै० बनाम राज्य में दिनांक–22.03.2022 को पारित आदेश में वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया है कि संबंधित पक्ष गोला अंचल अंतर्गत मौजा–बनतारा के निवासी है। मौजा–बनतारा के खाता नं०–52 नहीं बल्कि खाता नं०–58 से संबंधित है। तथा यह भूमि गैरमजरूआ खास है। इसलिये उक्त भूमि को संबंधित पक्ष के साथ बंदोबस्ती करने का भूतपूर्व जमीनदार को पूर्ण अधिकार प्राप्त था। स्थानीय राजस्व उपनिरिक्षक/अंचल निरीक्षक के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं अभिलेख में संलग्न खतियान एवं बुझारत पंजी के अनुसार मौजा–बनतारा के खाता नं०–52, प्लॉट नं०–58 रकवा–8.83 ए० भूमि **''केशरे हिन्द''** खाते की भूमि है, जो सार्वजनिक भूमि है। जो खाता नं०–28 के अंतर्गत नहीं है। केशरे हिन्द जमीन का स्वामित्व भूतपूर्व जमीनदार को प्राप्त नहीं था। जैसा कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक–8/ख०म०–नीति–14/97–1087 रा०, दिनांक–21.07.1998 में उल्लेखित है। अतिक्रमण वाद संख्या–45/2011–12 राज्य बनाम गणेश प्रजापति में झारखण्ड सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 की धारा–3 अंतर्गत प्रपत्र–I में तथा धारा–6 अंतर्गत प्रपत्र–II में नोटिस निर्गत की गई है। अतिक्रमण वाद संख्या–45/2011–12 राज्य बनाम गणेश प्रजापति में दिनांक–13.08.2022 को पारित आदेश की छायाप्रति संलग्न है। अतिक्रमण वाद संख्या–45/2011–12 राज्य बनाम गणेश प्रजापति में वर्णित मौजा–बनतारा के प्लॉट नं०–58 खाता नं०–52 के अंतर्गत है, जो ''केशरे हिन्द'' खाते की भूमि है। केशरे हिन्द भूमि का स्वामित्व भूतपूर्व जमीनदार को नहीं था और न ही बंदोबस्त करने का अधिकार भूतपूर्व जमीनदार को था। अतः अतिक्रमण अपील वाद संख्या–59/2022 गणेश प्रजापति बनाम राज्य एवं अन्य खारिज करने योग्य है।

विद्वान सरकारी अधिवक्ता, रामगढ़ के द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अतिक्रमित भूमि के संबंध में राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में अंचल अधिकार, गोला द्वारा अतिक्रमण वाद संख्या–45/2011–12 प्रारम्भ करते हुए BPLE Act की धारा–3 के तहत् अतिक्रमणकारी को नोटिस निर्गत किया गया है। तत्पश्चात् अंचल अधिकारी, गोला द्वारा विधिवत प्रक्रिया के तहत् सुनवाई करते हुए दिनांक–13.08.2022

को आदेश पारित किया गया तथा BPLE Act की धारा–3 के तहत् नोटिस निर्गत करते हुए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है, जो विधि–संगत है।

निष्कर्ष :–

अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता, रामगढ़ का बहस सुना तथा बहस के दौरान उपस्थापित कागजातों का अवलोकन किया, स्पष्ट है कि :–

1. अतिक्रमण वाद संख्या–45/2011–12 में अंचल अधिकारी, गोला द्वारा दिनांक–13.08.2022 को पारित आदेश के आलोक में प्रश्नगत अतिक्रमित भूमि मौजा–बनतारा के खाता नं०–52, प्लॉट नं०–58, रकवा–0.07 ए० भूमि जो केशरे हिन्द खाते की भूमि, से अतिक्रमण हटाने हेतु की गई कार्रवाई के विरूद्ध दिनांक–12.09.2022को अपील आवेदन दायर किया गया है।
2. राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर अंचल अधिकारी, गोला द्वारा अतिक्रमणकारी को BPLE Act की धारा–3 के तहत् नोटिस निर्गत करते हुए दिनांक–20.08.2022 को कार्रवाई की गई है।
3. विद्वान सरकारी अधिवक्ता, रामगढ़ से सहमत होते हुए अतिक्रमण वाद संख्या–45/2011–12 में दिनांक–13.08.2022 को पारित आदेश के आलोक में अतिक्रमण हटाने हेतु अंचल अधिकारी, गोला द्वारा की गई कार्रवाई विधि–संगत है।

आदेश :–

विद्वान सरकारी अधिवक्ता, रामगढ़ से सहमत होते हुए अतिक्रमण वाद संख्या–45/2011–12 में दिनांक–13.08.2022 को अंचल अधिकारी, गोला द्वारा पारित आदेश को यथावत् रखते हुए अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। इस आदेश के साथ वाद की कार्रवाई बन्द की जाती है। अभिलेख संचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

माधवी मिश्रा
17.3.2023
उपायुक्त,
रामगढ़।

माधवी मिश्रा
17.3.2023
उपायुक्त,
रामगढ़।

Digitally signed by MADHVI MISHRA
Date: 2023.03.31 12:29:41 +05:30
Location: 192.168.137.1